

न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 01 एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 67060002662017

दांडिक प्रकरण क.-26 / 2017

संस्थापित दिनांक-25.05.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-गजराम पुत्र चिप्पे अहिरवार आयु 35 वर्ष 02-राकेश पुत्र विजयसिंह यादव आयु 30 वर्ष निवासीगण सिंहपुरताल, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	
	आरोपीगण
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री जाफरी अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 05.10.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279,337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 5/180 एवं 146/196 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी गजराम को भादवि की धारा 337 दो बार के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, एवं 146/196 एवं 5/180 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी श्रीराम ने दिनांक 11.04.17 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 09.04.17 को वह खेतों पर भैस देखकर अपने गाव जा रहा था तब भटुआ पुलिया के पास आरोपी गजराम अपनी मोटरसाइकिल तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसे टक्कर मार दी थी जिससे वह गिर गया था, उसे एवं बंदना को चोट आई थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 152/17 के अंतर्गत भादवि की धारा 279,337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181,5/180 एवं 146/196 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 279,337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181,5/180 एवं 146/196 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी गजराम ने दिनांक 09.4.17 को 09:30 बजे अशोकनगर चंदेरी रोड पर भटुआ पुलिया के पास मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही पूर्वक चालित कर मानव जीवन संकटापन किया ?
2. क्या उक्त आरोपी ने उक्त घटना दिनांक व समय में वाहन को बिना लायसेंस प्राप्त किये सार्वजनिक मार्ग पर चालित किया ? उक्त
3. आरोपी ने उक्त घटना दिनांक व समय में वाहन को बिना बीमा कराए सार्वजनिक मार्ग पर चालित किया ?
4. या आरोपी राकेश ने उक्त घटना दिनांक व समय में वाहन को बिना लायसेंस धारक व्यक्ति को वाहन चलाने के अनुज्ञा दी ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वर्तित हैं। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 श्रीराम एवं अ.सा.2 बंदना की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 श्रीराम ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह पैदल जा रहा था तब एक मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार मोटरसाइकिल धीरे चल रही थी तथा उसे जानकारी नहीं है कि मोटरसाइकिल कोन चला रहा था। उक्त साक्षी ने प्र0पी01 की रिपोर्ट लेखवद्ध करना बताया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाकर टक्कर मारी थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से भी इंकार किया है। अ.सा.2 बंदना ने भी अपने कथन में बताया है कि वह मोटरसाइकिल से जा रही थी और मोटरसाइकिल अचानक गिर गई थी जिससे उसे चोट आई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार

किया है कि उसके पिताजी प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चला रहे थे। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मामले के फरियादी एवं आहत ने इस बात से इंकार किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदावाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया। प्रकरण में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा कराए चालित किया गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 279,337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181,5/180 एवं 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुदर्गी पर है अतः सुपुदर्गीनामा निरस्त समझा जावे अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

